फर्द अहकाम

रामप्यारी बनाम जीवनी

न्यायालय ACM बस्सी

संख्या 172/2016

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/07/11	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष को राजीनामा पर पूर्व में सुना गया। दौराने बहस उभयपक्ष ने जाहिर किया कि इनवाकी वाद वादियागण की वादीयागण की ओर से घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु कृषि भूमि खसरा नं. 12 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा खसरा नं. 13 रकबा 2 बिस्वा खसरा नं. 14 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम हरिरामपुरा तहसील बस्सी जि. जयपुर के सन्दर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 7 के विरुद्ध दायर किया गया है एवं वादग्रस्त आराजी वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 7 के पिता/पति/पितामह किशनलाल पुत्र प्रताप की खातेदारी भूमि है तथा प्रताप के जीवनकाल में उनके जायन्दा पुत्र किशनलाल की मृत्यु हो जाने से प्रताप का कोई	मीरा अशोक अ.प्र. भगवानी अ.प्र. आशी

फर्द अहकाम

रामप्यारी बनाम जीवनी

नाम न्यायालय ACM बस्सी

केस संख्या 172/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		विरासती नामान्तकरण सं. 58 दिनांक 10/07/1995 को हरिनारायण, रामस्वरूप, जगदीश पुत्रान स्व. किशनलाल व जीवनी बेवा किशनलाल जाति रैगर सा. देह के नाम दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया था तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे खातेदारी का इन्द्राज किशनलाल के तीनो पुत्र एवं पत्नी जीवनी के नाम दर्ज चला आ रहा है उक्त इन्द्राज को हम वादीयागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 अंतिम रूप से सही होना स्वीकार करते हैं, एवं हरिनारायण पुत्र किशनलाल की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि में उसके दर्ज हिस्से का विरासती नामान्तकरण मीरा बेवा हरिनारायण व अशोक पुत्र हरिनारायण के नाम दर्ज विरासती इन्द्राज को भी सही होना स्वीकार करते है तथा वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे कभी दर्ज (signature)

फर्द अहकाम

रामप्यारी बनाम जीवनी

न्यायालय ACM बाली

संख्या 172/2016

विशेष संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		नहीं रही ना ही कभी कोई कब्जा रहा है। वादियागण अपने सगे भाइयों हरिनारायण, रामस्वरूप, जगदीश पुत्रान किशनलाल व जीवनी बेवा किशनलाल के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज को सही एवं दुरूस्त होना मानकर स्वीकार करती चली आ रही है तथा विरासती नामान्तकरण संख्या 88 दिनांक 10/07/1995 वादीयागण एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 की सहमति व रजामन्दी से दर्ज करवाया गया था इसलिये वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 वादग्रस्त आराजी मे कोई हक व हिस्सा लेना नही चाहती है तथा बरूए राजीनामा अपने विरासती कोई हक व हिस्सा यदि बनता है तो उसको प्रतिवादी संख्या 2 लगा 5 के हक मे तर्क करती है, असालतन यदि कोई विरासती हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि मे कानूनन बनता है तो उस सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग बरूए राजीनामा प्रतिवादी सं. 2 लगा 5 के	

Contd

फर्द अहकाम

रामप्यारी बनाम जीवनी

नाम न्यायालय A-CM बस्सी

केस संख्या 172/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		हक मे राजीखुशी हकत्याग करती है तथा बकरए राजीनामा यह भी स्वीकार करती है कि वादीयागण रामप्यारी, फूला, गोपाली पुत्रियां किशनलाल एवं भगवानी, रामा पुत्रियां स्व. किशनलाल आज के बाद उपरोक्त भूमि मे एवं किशनलाल पुत्र प्रताप की छोडी हुई चल अचल सम्पत्ति मे आयन्दा कोई क्लेम नही करेंगी तथा यदि किया जावे तो उसे इस राजीनामा की रोशनी मे अमान्य समझा जावे अतः राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीक[ार] किया जाकर बकरए राजीनामा उनव[ा] वादपत्र को खारिज फरमाये जान[े] हेतु निवेदन किया।
		उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा. पत्र बाबत राजीनामा पर [की] गई बहस पर मनन करने ए[वं] पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्[ड] का अवलोकन करने के उप[रान्त] हम पाते है कि वादियागण [व] प्रतिवादी संख्या 1 लगा 7 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा से वादिया[गण]

फर्द अहकाम

रामप्यारी बनाम जीवनी

नाम न्यायालय ACM बस्सी

केस संख्या 172/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा 7 वर्तमान राजस्व रिकार्ड को सही होना स्वीकार करते है एवं पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है इसलिए न्यायहित मे वादियागण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा 7 द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र बाबत राजीनामा स्वीकार किया जाकर बकरार राजीनामा के आधार पर वादियागण का वादपत्र खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम वादियागण के वादपत्र को खारिज फरमाने का अनुतोष चाहा गया है उक्त वादपत्र पक्षकारान के मध्य राजीनामा स्वीकार हो जाने से वादपत्र खारिज किया जा चुका है अतः प्रतिवादी सं. 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम सारहीन होने से खारिज किया जाता है। राजीनामा दिनांक 26/07/24 इस आदेश का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर

बस्सी जिला – जयपुर ग्रामीण